राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 815 / 2025

वसीम परवेज **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव एवं अतिरिक्त आयुक्त पंचायती, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रशासन स्थापना समिति जिला परिषद् झालावाड़।
4. सचिव, प्रशासन स्थापना समिति जिला परिषद् झालावाड़।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, झालावाड़।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिडावा मु0, सुनेल, जिला झालावाड़।
7. शम्भु दयाल मेघवाल, कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति डग, जिला झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर पिडावा मुख्यालय सुनेल में पदस्थापित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला परिषद झालावाड़ द्वारा किया गया है। जिसमें कहां पदस्थापन किया गया है यह स्पष्ट नहीं किया गया है एवं आलौच्य आदेश जारी करने से पहले संबंधित प्रधान से सहमति भी नहीं ली गई है, जो पंचायतीराज अधिनियम की धारा 89 8(ii) का उल्लंघन है। उनका यह भी निवेदन है कि मात्र 11 माह पश्चात निजी प्रत्यर्थी संख्या–7 को समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति पिडावा मु0 सुनेल से पंचायत समिति डग किया गया है। जिला स्थापना समिति की बैठक के निर्णय की अनुपालना में आलौच्य आदेशजारी किया गया है। जिसमें विशेष

विवरण में स्पष्ट है कि अपीलार्थी को श्री शम्भुलाल मेघवाल के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। आलौच्य आदेश में क्रम संख्या 01 पर अपीलार्थी एवं क्रम संख्या 02 पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–7 का नाम अंकित है, जो वर्तमान में पंचायत समिति डग में पदस्थापित है। हम यह पाते है कि अपीलार्थी को जहा पदस्थापित किया गया है जो पूर्ण स्पष्ट है। साथ ही आलौच्य आदेश जिला स्थापना समिति की बैठक के निर्णय की अनुपालना में जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 11 माह की निश्चित समयावधि पश्चात किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने के सम्बन्ध में तथ्य उपलब्ध दस्तावेजो से प्रमाणित नहीं होता है।

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य